File No.95-1001(001)/9/2021-

संख्या-68/2022/205/22-4-2022-03जी/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक- 29 मार्च, 2022

विषय : मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30-07-2019 के अनुपालन में दिनांक 06-12-2016 से 31-08-2019 तक की अवधि में प्रदेश की विभिन्न जेलों/कारागारों में नियोजित रहे होमगार्ड स्वंयसेवकों के अवशेष एरियर भुगतान के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-5736/अध-3(4)/होमगार्डस/2021 दिनांक-22-02-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-30-07-2019 के अनुपालन में दिनांक 06-12-2016 से 30-08-2019 तक की अवधि में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में नियोजित रहे होमगार्ड स्वंयसेवकों की डियूटी भत्ता एरियर के अवशेष भुगतान हेतु धनराशि रू0 1,51,18,547/-(रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख अट्ठारह हजार पांच सौ सैंतालिस मात्र) को होमगार्डस कल्याण कोष के खाते में अंतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि पुनर्विनियोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1217(1)/22-4-2021-3जी/2021, दिनांक-11 अक्टूबर, 2021 द्वारा की गयी धनराशि रू0 2500.00 लाख में से धनराशि रू0 22,04,15,795/-(रूपया बाइस करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार सात सौ पन्चानवे हजार मात्र) को महासमादेष्टा होमगार्ड के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-100/2021/1273/22-4-2021-03जी/2021, दिनांक-11 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित प्रकरण में अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद 02-मजदूरी मद में पुनर्विनियोग द्वारा की गयी अवशेष धनराशि रू0 2,95,84,205/- (रूपया दो करोड़ पन्चानवे लाख चौरासी हजार दो सौ पॉच मात्र) में से धनराशि रू0 1,51,18,547/-(रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख अट्ठारह हजार पांच सौ सैंतालिस मात्र) को होमगार्ड विभाग के होमगार्डस कल्याण कोष खाता में अंतरित किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासनादेश संख्या-100/2021/1273/22-4-2021-03जी/2021, दिनांक-11 अक्टूबर, 2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-68/2022/205(1)/22-4-2022 तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) अपर मुख्य सचिव, होमगार्ड विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2) पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस के पत्र संख्या-1749/लेखा/सात-146/2005(पार्ट-3) दिनांक-22 फरवरी, 2022 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यह सुनिश्चित किया जायेगा की प्रश्नगत होमगार्ड स्वंयसेवकों को अवशेष एरियर का दोहरा भुगतान न हो सके।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
(5) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।